अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2016

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0 नि0 30–40/2016– 4172

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक– 12 मई, 2016

विषयः– **पंचायत आम निर्वाचन, 2016 : मतगणना में गड़बड़ी के संबंध में आम प्रत्याशियों की आशंका के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है पंचायत आम निर्वाचन 2016 में निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा पूर्व में कई दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं फिर भी आयोग में ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं जिसमें प्रत्याशी विशेष के पक्ष में निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी की संलिप्तता का जिक्र किया गया है या उसके पक्ष में संलिप्त होने की आशंका व्यक्त की गयी है। राज्य में राजनीतिक दलों के गणमान्य नेताओं एवं बुद्धिजीवियों द्वारा भी ऐसी शंकाओं/अफवाहों की पुष्टि की गयी है। आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि मतगणना में संलग्न सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी निष्पक्ष ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन करें ताकि बाद में आयोग की जांच या चुनाव याचिका में मतगणना में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों की निष्पक्षता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगे। **मतगणना की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग का निदेश है कि :–**

1. मतगणना अवधि में जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतगणना स्थल पर अवश्य भ्रमण करेंगे एवं जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों को प्रखंडों का आवंटन कर देंगे ताकि वे मतगणना अवधि में आवंटित प्रखंडों में जाकर प्रत्याशियों की शिकायतों को सुनें एवं उसका विधिवत निराकरण करें। इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करा दिया जाय ताकि किसी समस्या के आने पर प्रत्याशियों द्वारा उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके।

328 (मु0)
13.5.2016

2. किसी पद विशेष पर मतों का अंतर 09 तक है और किसी प्रत्याशी द्वारा पुनर्गणना का आवेदन दिया जाता है तो उसे निश्चित रूप से स्वीकार किया जायेगा और पुनर्गणना कराकर ही निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा। अगर मतों का अंतर 09 से ज्यादा है तो आवेदन को मेरिट के आधार पर निस्तार करते हुये अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा। किसी प्रत्याशी की इस शिकायत को कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनके पुनर्गणना संबंधी आवेदन की प्राप्ति रसीद नहीं दी गयी या आवेदन नहीं लिया गया – आयोग द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया जायेगा। पुनर्मतगणना के संबंध में किसी भी पद विशेष के लिए एक बार ही अनुरोध स्वीकार किया जायेगा, पुनर्मतगणना की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com

3. अगर किसी प्रत्याशी को किसी मतगणना कर्मी की निष्पक्षता पर संदेह है और इस आशय का आवेदन उसके द्वारा दिया जाता है तो जिला पदाधिकारी/जिला के वरीय पदाधिकारी/ एवं प्रेक्षक उस मतगणना कर्मी के आचरण पर नजर रखेंगे एवं थोड़ी भी शंका होने पर उसे हटा देंगे।

4. मतगणना में संलग्न सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को आयोग के इस निदेश से अवगत करा दिया जाय कि अगर जांच में अथवा चुनाव याचिका के फैसले में आयोग पाता है कि किसी मतगणना कर्मी/निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जान–बूझकर किसी प्रत्याशी विशेष की मदद की गयी है तो उनपर पंचायत राज अधिनियम की धारा 130 (17) के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुये स्पीडी ट्रायल कराया जायेगा एवं प्रशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी। यह भी कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में यह गलती की गयी है उसके विरूद्ध भी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ए) एवं (बी) के तहत सह अभियुक्त बनाकर उनपर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। इस धारा के अंतर्गत कारावास की अवधि दो वर्ष है और जुर्माना तथा दोनों है।

5. आयोग में ऐसी भी शिकायतें दर्ज करायी जा रही है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रभावशाली व्यक्ति विशेष द्वारा गड़बड़ी किये जाने की आशंका है। आयोग का निदेश है कि जांच में अगर यह आरोप सही पाया जाता है तो आयोग उन पदाधिकारियों/कर्मियों के अलावे ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति विशेष पर भी पंचायत राज अधिनियम की धारा 130 (2) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ए) एवं (बी) के तहत सह अभियुक्त बनाकर उनपर प्राथमिकी दर्ज कराकर स्पीडी ट्रायल कराने की व्यवस्था करेगा इस धारा के अंतर्गत कारावास की अवधि दो वर्ष और जुर्माना तथा दोनो है।

6. आयोग का यह भी निदेश है कि अगर किसी मतदान कर्मी को प्रभावशाली व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी भी तरह प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो तुरंत इसकी सूचना जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) या प्रेक्षक को देंगे जो तुरंत ऐसे व्यक्तियों पर उक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायेंगे।

विश्वासभाजन,

सचिव। 11/5

ज्ञापांक 1119 दिनांक – 13.05.16

प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा/नोडल पदा० विधि व्यवस्था कोषांग/नोडल पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग/नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग/नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग/नोडल पदाधिकारी एम० आई० सी० कोषांग/नोडल पदा० आदर्श आचार संहिता कोषांग/नोडल पदाधिकारी मिडिया कोषांग/सभी निर्वाची पदा० –सह- अनुमण्डल पदाधिकारी सदर/बेनीपुर/बिरौल/सभी निर्वाची पदा० -सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/5/16

जिला पंचायत राज पदा०
दरभंगा
13/5/16

13/5/16

Comp 3 E:\kumar\General Election 16\Letter Gen. Ele. 2016.doc 295